96

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 968 - II/17

प्रकरण क्रं. /2017 निगरानी

नवलसिंह पुत्र धुर्रासिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम सलापुरा तहसील व जिला श्योपुर (म. प्र.)........................आवेदक

दिनांक 28.3.17 को श्री एम.पी. भटनागर अभि० द्वारा प्रस्तुत

28.3.17

बनाम

रामदीन पुत्र दर्शनलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम कुकधारी तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म. प्र.)...............अनावेदक

Filed by M P Bhatnagar

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 21/03/17 न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना (म0 प्र0) प्रकरण क्रं. 162/2016–17 अपील अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

1– यह कि ग्राम सलापुरा तहसील व जिला श्योपुर में भूमि सर्वे क्रंमाक 283/01 स्थित है। उक्त भूमि में दो भूखण्ड 39 X 30 एक 60 X 39 है। जिनके भूखण्ड क्रंमाक 18, 19, 45 है। उक्त भूमियों को आगे के पदो में विवादित भूमि के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 968–दो/17 जिला –मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
4.4.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 162/2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 21.3.17 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा स्थगन की मांग की गई है और अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश पत्रिका में यह उल्लेख किया है कि अनावेदक को सुनने के पश्चात स्थगन पर विचार किया जावेगा लेकिन आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंतिरिम आदेश विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि आवेदक को अपर आयुक्त न्यायालय में अनुतोष मिलने का मौका है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	